

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1377/2012/पाली.

मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, बाबरियावास, जैतारण, पाली.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब्यावर, अजमेर.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या - 1692/2012/पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब्यावर, अजमेर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, बाबरियावास, पाली.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषकव्यवहारी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषकविभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/04/2018

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब्यावर (अजमेर) (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 40/11-12/वैट/ब्यावर में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.5.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। इन दोनों अपीलों में एक ही पक्षकार होने तथा अपीलीय अधिकारी के एक ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।


2. दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी।

3. प्रकरण में राजस्व की ओर से इस बिन्दु पर अपील की गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के खरीद किये गये सबमर्सिबल पम्प, इलेक्ट्रिक लाईट फिटिंग, हेलोजन, सी.एफ.एल., ड्राई बैटरी आदि वस्तुओं को केपिटल गुड्स नहीं मानने का निर्णय विधिसम्मत था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे केपिटल गुड्स मानकर आई.टी.सी. का लाभ मय ब्याज देने का निर्णय अविधिक है।



लगातार.....2

4. राजस्व का यह बिन्दु अस्वीकार योग्य है क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा परीक्षण पर पाया गया कि ये वस्तुयें निर्माण कार्य की प्रक्रिया में मशीनरी के रूप में अनिवार्य वस्तुएं हैं, अतः कैपिटल गुड्स के रूप में आई.टी.सी. का लाभ रूपये 1,05,627/- देने का निर्णय उचित है।
5. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में यह बिन्दु बताया गया है कि वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण आदेश में डेफरमेंट के बिन्दु पर जो लाभ दिया गया है वह वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के संशोधित कर निर्धारण आदेशों के परिणामस्वरूप दिया गया है क्योंकि उनके वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के आदेशों में Tax payable के बिन्दु पर पुनः गणना के आधार पर डेफरमेंट की राशि अवशेष रही थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 में इस पर ब्याज आरोपित किया गया है, जबकि वह ब्याज वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के आदेशों में उद्ग्रहणीय था जिसके सम्बन्ध में पुनः गणना हेतु कर बोर्ड के आदेश दिनांक 14.11.2017 में निर्देश दिये जा चुके हैं।
6. अपीलार्थी की पुनः गणना सम्बन्धी अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के आदेशों के परिणामस्वरूप प्राप्त डेफरमेंट की कैरी फॉवर्ड राशि का लाभ देते हुए यदि राशि जमा योग्य अवशेष रहती है तब उस पर ब्याज आरोपित किया जावे।
7. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं व्यवहारी की अपील स्वीकार कर पुनः आदेश पारित कर ब्याज की गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य